फर्द अहकाम

(नियम 26)

बज अदालत .... अतिरिक्त जिला मुकाम कलेक्टर टोंक

सरकार जरिये तहसीलदार देवली बनाम शामलाल

किस्म मुकदमा जेरकार नं. 10 सन् 2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-8-11	पत्रावली आज माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 19-07-2011 के साथ प्राप्त होने पर प्रस्तुत हुई। प्रकरण न्यायिक अनुपालना पंजिका में अंकन कर दर्ज रजिस्टर जेर कार्यवाही कर निर्णय की प्रति तहसीलदार देवली को भेजकर पालना रिपोर्ट तलब हो। पत्रावली दि० 2-9-11 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	1087 / 12/8/11
2-9-11	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित है। तहसीलदार देवली से पालना रिपोर्ट अप्राप्त। पुनः स्मरण पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 29-9-11 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	1162 / 19/9/11
29-9-11	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित है। तहसीलदार देवली से पालना रिपोर्ट अप्राप्त। अतः इन्तजार पालना रिपोर्ट पत्रावली दि० 7-10-11 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	
7-10-11	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित है। तहसीलदार से रिपोर्ट अप्राप्त। पुनः लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 17-11-11 को पेश हो। (हस्ताक्षर) अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही

29/7/21 पेशकार सरकार उप। पत्रावली प्रस्तुत। रिपोर्ट हेतु दिनांक 6-8-21 को पेश हो।

जिला कलेक्टर
टोंक

6-8-2021 पेशकार सरकार उप। तहसीलदार देवली से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथाकथित रेफरेंस प्रकरण तहसीलदार देवली द्वारा प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20/12/2002 को निर्णय पारित कर रेफरेंस प्रकरण के अप्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 126 अवैधानिक एवं नियमों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किया जावे के निवेदन के साथ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर को प्रेषित करने पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 19/07/2011 से तथाकथित रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 126 वाके ग्राम सांडला निरस्त किया गया है और उक्त नामान्तकरण के आधार पर राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी के नाम किया गया समस्त अंकन निरस्त किया गया है। विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में पुनः सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया है।

इस संबंध में तहसीलदार देवली को माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना करवाने हेतु लिखे जाने पर तहसीलदार देवली ने उनके पत्र क्रमांक 492 दिनांक 11/02/2019 एवं 575 दिनांक 25/2/2021 से अवगत कराया है कि नामान्तकरण संख्या 126 की दोनों ... माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार नोट ... चूंकि प्रकरण में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

6-8-2021

M.L.S.

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:02:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner